



Neutral Citation No. 2026:AHC:17596

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 264 / 2026

बिस्कुट

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

राम चंद्र यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम चंद्र यादव और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार को सुना गया।
2. यह रिट याचिका परमादेश रिट जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को यह निर्देश दिया गया है कि वह बहाली आवेदन संख्या 2362/2016 दिनांक 19.10.2016 (अनुलग्नक संख्या 5) पर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय ले। यह आवेदन फूलबदन (प्रत्यर्थी संख्या 3) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पुनरीक्षण संख्या 853/2016 (बिस्कुट यादव बनाम फूलबदन और अन्य) में पारित आदेश दिनांक 29.4.2016 के विरुद्ध दायर किया गया था और यह आवेदन 19.10.2016 से ही प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि दिनांक 29.4.2016 के आदेश के विरुद्ध निजी प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया बहाली आवेदन 19.10.2016 से ही राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है। उन्होंने निवेदन किया कि इस लंबित बहाली आवेदन के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 दिनांक 19.10.2016 के बहाली आवेदन पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद और कानून के अनुसार यथाशीघ्र अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर—निर्णय ले।

(चंद्र कुमार राय न्यायाधीश)

27 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"